न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : हिमांशु गुप्ता, आई0ए0एस0

रेफरेंस आवेदन पत्र सं. 30 / 2011

प्रार्थी– *बनाम* **रेस्पोडेंट –**

राजस्थान राज्य जरिये
तहसीलदार शिव

स्व0 सुमरा पुत्र रायधन के कायम
मुकाम–

1. खातु बेवा सुमरा
2. गोदाराम पुत्र सुमराराम
3. मगाराम पुत्र सुमराराम
4. टीकमाराम पुत्र सुमराराम
5. जैसाराम पुत्र सुमराराम
   जाति भील निवासी रेडाणा तहसील शिव जिला बाड़मेर

रेफरेंस आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.05.1981 जो राजस्व वाद सं. 71 / 79 सुमरा बनाम सरकार द्वारा सहायक कलक्टर (एसडीओ) बाड़मेर द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री राजकीय पैरोकार, प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री रामस्वरूप भाटी, अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

आदेश

दिनांक : 23 / 07 / 2019

1. प्रस्तुत रेफरेंस प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अप्रार्थी सुमरा ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सहायक कलक्टर (एसडीओ) बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा रेडाणा के खसरा नम्बर 153 की 98–08 बीघा भूमि वक्त सैटलमेंट भूलवश खसरा नम्बर 169 मे दर्ज कर ली गई है, जबकि यह भूमि उसके कब्जे–काश्त की होने से खातेदारी मे घोषित की जावें। सहायक कलक्टर (एसडीओ) बाड़मेर ने राजस्व वाद सं. 71 / 19 दर्ज कर बाद जांच एवं सुनवाई निर्णय दिनांक 11.05.1981 के द्वारा डिक्री कर दिया। प्रार्थी द्वारा

जिला कलक्टर
बाड़मेर

इस निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध यह रेफरेंस आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उक्त खसरा नम्बर 169 की भूमि वक्त बन्दोबस्त बिला कब्जा नही थी अपितु मुसम्मी जानू पुत्र लुकमान जाति मुसलमान की खातेदारी मे दर्ज थी। उक्त खातेदार जानू अनाधिकृत रूप से बिना वैध पारपत्र के अपनी खातेदारी भूमि का परित्याग कर चले जाने से यह भूमि राज्य सरकार के खाते मे दर्ज हुई थी। अप्रार्थी ने इन तथ्यों को छिपाते हुए गलत तथ्यों के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया एवं डिक्री प्राप्त की है, जिसमे वादी का कब्जा–काश्त वक्त बन्दोबस्त होना साबित नही होने के बावजूद भी सहायक कलक्टर (एसडीओ) द्वारा केवल मौखिक साक्ष्य के आधार पर निर्णय व डिक्री पारित की है, तो विधि सम्मत नही होने से इसे निरस्त करने हेतु मामला राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को को प्रेषित किये जाने का निवेदन किया गया। इस पर रेफरेंस आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 18.04.2012 के द्वारा प्रार्थना पत्र राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को अग्रेषित करते हुए उक्त निर्णय एवं डिक्री को निरस्त करने का निवेदन किया गया। इस पर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर की एकल पीठ द्वारा दोनो पक्षों की सुनवाई पश्चात निर्णय दिनांक 09.05.2014 के द्वारा इस अग्रेषित आवेदन पत्र खारिज करते हुए प्रकरण पुनः इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया कि–

"रेफरेंस के जरिये वह आदेश निरस्त नहीं किये जा सकते जो जांच और साक्ष्य के विषय हों। यह बिन्दु केवल साक्ष्य के आधार पर ही तय किये जा सकते है। रेफरेंस के माध्यम से न तो कोई आदेश निरस्त किया जा सकता है और न ही कोई निर्णय ही दिया जा सकता है। क्योंकि यह तथ्य स्पष्ट नहीं है कि क्या भीमदान को विवादग्रस्त आराजी का आवंटन किया गया था ? यदि किया गया था तो विवादग्रस्त सम्पूर्ण भूमि का रेफरेंस प्रस्तुत नही किया जा सकता है। आवंटन के बाद बची हुई भूमि का ही रेफरेंस किया जा सकता है। एक ओर भीमदान को आवंटन होने पर उसको वाद मे पक्षकार बनाया गया है और उसके द्वारा अपने जवाब दावे मे यह कथन किया गया है कि उक्त भूमि उसे आवंटन नही हुई है और नही उसका कब्जा है। दुसरी ओर वादी ने संशोधित वाद पत्र पेश कर उसको वाद मे पक्षकार बनाया हैं। इसके अलावा भी राज्य सरकार की ओर से यह सिद्ध नहीं किया गया है कि विवादग्रस्त

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

भूमि को धारा 63(1)(8) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत खालसा करार दिया गया हों।

उपरोक्त तथ्यात्मक एवं विधिक स्थिति को ध्यान मे रखते हुए यह रेफरेंस खारिज किया जाता है। जिला कलेक्टर बाड़मेर को निर्देश दिये जाते हैं कि वह प्रकरण मे नये सिरे से जांच कर यदि प्रकरण रेफरेंस योग्य पाया जावे तो पुनः रेफरेंस करने के लिये स्वतंत्र हैं।''

राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर से रिमाण्ड होकर पुनः प्राप्त होने पर प्रकरण पुनः नम्बर पर कायम किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सुनवाई हेतु तलब किया गया एवं निर्देशानुसार अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया।

2. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष को सुना। अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि प्रार्थी की ओर से विभागीय पैरोकार ने प्रकट किया कि वादी सुमरा ने सहायक कलक्टर (एसडीओ) बाड़मेर के समक्ष गलत तथ्य प्रस्तुत कर राजस्व वाद सं. 71/79 प्रस्तुत किया गया था। अप्रार्थी (वादी) ने अपने दावे में अंकित किया है कि खसरा नम्बर 169 की 98–08 बीघा भूमि वक्त बन्दोबस्त बिला कब्जा सरकार दर्ज हो गई थी जबकि वह उसकी खातेदारी के खसरा नम्बर 153 का भाग थी। हस्तगत पत्रावली मे प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के रूप मे ग्राम रेडाणा के नामान्तरकरण सं. 59 की प्रतिलिपि का अवलोकन किया। यह नामान्तरकरण खातेदार जानू वल्द लुकमान कौम मुसलमान के विरूद्ध तहसीलदार शिव द्वारा धारा 61 के तहत आदेश क्रमांक 583 दिनांक 06.07.1971 पारित होने के आधार पर खसरा नम्बर 169 रकबा 98–08 बीघा, खसरा नम्बर 179 रकबा 146–02 बीघा एवं खसरा नम्बर 182 रकबा 105–04 बीघा भूमि खालसा सरकार की जाने पर दिनांक 11.06.1973 को स्वीकृत हुआ हैं। इस प्रकार यह भली–भाँति साबित हैं कि वादी द्वारा दावकृत भूमि खसरा नम्बर 169 रकबा 98–08 बीघा भूमि वक्त बन्दोबस्त बिला कब्जा सरकार दर्ज नहीं हुई थी। इस प्रकार अप्रार्थी (वादी) द्वारा सहायक कलक्टर (एसडीओ) बाड़मेर के समक्ष गलत तथ्य प्रस्तुत किये एवं कपट प्रवंचन के द्वारा उक्त डिक्री प्राप्त की हैं जो अभिलेखीय तौर पर ही परिलक्षित हो रही हैं तथा अप्रार्थी (वादी) विवादित भूमि का वक्त बन्दोबस्त किसी भी रूप मे खातेदार नही होने के बावजूद काश्तकारी अधिनियम के विधिक प्रावधानों के विरूद्ध होने से जरिये रेफरेंस निरस्त योग्य हैं।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

3. अप्रार्थीगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने जवाब मे प्रकट किया कि सहायक कलक्टर (एसडीओ) बाड़मेर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध अपील का प्रावधान है, मगर 30 वर्ष बाद रेफरेंस आवेदन पत्र पेश किया है जो गलत है तथा धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, के तहत रेफरेंस नही किया जा सकता है। अप्रार्थीगण ने लाखों रूपये खर्च कर विवादग्रस्त भूमि को सुधारा है, पानी संग्रहण हेतु टांका, रहवास हेतु ढाणी बनाकर रहवास किया जा रहा हैं। अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपने कथन के समर्थन मे पुनः न्यायिक निर्णय नजीर आर0आर0डी0 1994 पृष्ठ 523 से 525, आर0आर0डी0 2000 पृष्ठ संख्या 52 से 56, आर0आर0डी0 2000 पृष्ठ सं. 410 से 412, आर0आर0टी0 2003(2) पृष्ठ सं. 1248 से 1253, आर0आर0टी0 2005(2) पृष्ठ सं. 769 से 773, आर0आर0टी0 2005 (2) पृष्ठ सं. 877 से 881, आर0आर0टी0 2006(1) पृष्ठ सं. 541 से 543, आर0आर0टी0 2006(2) पृष्ठ सं. 839 से 841, आर0आर0टी0 2009(1) पृष्ठ सं. 1085 से 1088 के दृष्टांत की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करते हुए न्यायालय सहायक कलक्टर (एस0डी0ओ0) बाड़मेर द्वारा पारित की निर्णय एवं डिक्री मे किसी प्रकार की विधिक अनियमितता नही होने से यह रेफरेंस प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया गया।

4. हमने दोनो पक्षों द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि अप्रार्थी (वादी) सुमरा द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर (एसडीओ) बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत राजस्व वाद सं. 71/79 मे खसरा नम्बर 169 रकबा 98–08 बीघा भूमि वक्त बन्दोबस्त भूलवश बिला कब्जा सरकार दर्ज होना उल्लेखित किया हैं किन्तु वादपत्र के संलग्न जानबूझकर बन्दोबस्त जमाबन्दी प्रस्तुत नही की गई। हमारे द्वारा उक्त विवादित भूमि की बन्दोबस्त जमाबन्दी मंगवाई जाकर अवलोकन किया जिसमे खाता सं. ..... मे खातेदार जानू पुत्र लुकमान जाति मुसलमान सा0 देह खातेदार के नाम अन्य खसरा नम्बर 179 रकबा 146–02 बीघा एवं खसरा नम्बर 182 रकबा 105–04 बीघा के साथ खसरा नम्बर 169 रकबा 98–08 बीघा भूमि खातेदारी में दर्ज हैं। इसके पश्चात उक्त खातेदार की भूमि धारा 61 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत खालसा हो जाने पर नामान्तरकरण सं. 59 के द्वारा बहक राजस्थान सरकार बिला कब्जा दर्ज हुई हैं। इस प्रकार अप्रार्थी (वादी) द्वारा न्यायालय के समक्ष गलत तथ्य प्रस्तुत कर साथ हाथों एवं स्वच्छ मानसिकता से वाद पेश नहीं किया तथा यह प्रश्नगत डिक्री कपटपूर्ण तरीके से धारा 15 एवं 19 मे विहित विधिक प्रावधानों के विरूद्ध पारित करवाई है। इस प्रकार हस्तगत रेफरेंस प्रार्थना

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

पत्र मे प्रश्नगत निर्णय एवं डिक्री मे विधि का सारभूत प्रश्न निहित हैं न कि जांच एवं साक्ष्य के बिन्दु पर अपील योग्य हैं। अप्रार्थी (वादी) विवादित भूमि मे काश्तकारी अधिनियम मे यथा विहित खातेदार की हैसियत मे ही नहीं था तथा विधितः खातेदार न होते हुए भी कपट से डिक्री पारित करवाई हैं जो धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत जरिये रेफरेंस निरस्त योग्य हैं।

5. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह रेफरेंस प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर सहायक कलक्टर (एसडीओ) बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद सं. 71/79 मे पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.05.1981 को निरस्त करने हेतु मामला पुनः राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफर किया जाता हैं। इस मामले की सुनवाई हेतु राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर मे पेशी तारीख 23.09.2019 निश्चित की जाती हैं। अप्रार्थीगण नियत तारीख पेशी पर राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

6. आदेश आज दिनांक 23.07.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हिमांशु गुप्ता)
जिला कलक्टर, बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर